

गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

संयुक्त घोषणा प्रपत्र

JOINT DECLARATION FORM

यह प्रम	ाणित किय	ा जाता है कि	आचार्य/डॉ./	श्री/श्रीमती	⁄सुश्री		•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	,
गुजरात	केंद्रीय	विश्वविद्यालय,	गाँधीनगर	में		•••••	•••••	के र	रूप	में	कार्यरत	हैं	और
•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	में	••••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	. के ग	रूप में
कार्यरत	आचार्य/ड	ॉ./श्री/श्रीमती/स <u>ु</u> ः	श्री	•••••	•••••		•••••			पति	-पत्नी हैं	तथा	दोनों
सरकारी	। संस्थान में	नियोजित हैं जह	गँ छुट्टी यात्रा	रियायत (एलटीसी), चि	केत्सा, संत	ान शिक्षा भ	त्ता (स	गीईए)) इत्य	गदि की प्र	गतिपूर्वि	र्ति की
सुविधा	प्रदान की ज	नाती है। हम संयु	क्त रूप से वच	ान देते हैं वि	के हमारे द्वारा न	ीचे दी गई	तालिका के	अनुस	ार उप	ारोक्त	सुविधाअ	गें का	लाभ
उठाया/	दावा किया	जाएगा:											
It is to	certify t	hat we, Prof.	/Dr./Sh./N	1 s									,
workii	ng at Cen	tral Universit	y of Gujar	at, Gand	lhinagar as ₋								_ and
Prof./I	Dr./Sh./M	Is									, WO	rkinş	g at
husbai	nd and w	ife and both a	re employ	ed in the	e Governme	ent entity	, wherein	facil	ity f	or r	eimburs	eme	nt of
LTC,	Medical,	CEA, etc. exi	sts. We jo	intly unc	dertake that	following	g facilities	shal	ll be	ava	iled / cl	aime	ed by
us as u			3	•		·							•
क्रं सं.	सुविधा व प्रकार	ज	दावा करने	वाले व्यक्ति का नाम			आश्रितों की संख्या			ा कर्मचारी से संबंध			
Sl. No.	Type o			shall C			Number of Dependents			Relationship with the Employee			
1.	छुट्टी यात्र रियायत												
	/LTC												
2.	चिकित्स /Medica												
3.	संतान शि भत्ता /CE												
4.	अन्य/ Mis	с.											



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रमाणपत्र/घोषणा हमारी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। किसी भी परिवर्तन/संशोधन की स्थित में, हम तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करेंगे। उपरोक्त जानकारी से किसी भी विसंगति की स्थित में, मैं/हम विसंगति के कृत्यों की चूक/विचारण के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

Certified that the above certificate / declaration is true and correct to the best of our knowledge. In the event of any change / modification, we shall immediately inform the authorities concerned. In case of any deviation from the above, I / we shall be personally responsible for the omission / commission of the acts of deviation.

(गुकेवि के कर्मचारी के हस्ताक्षर)	(पति/पत्नी के हस्ताक्षर)						
(Signature of the CUG Employee) नाम/Name:	(Signature of Spous नाम/Name:						
स्थान/Place:							
दिनाँक/Date:							
संबंधित प्रतिष्ठान के कार्यालय के प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर:							
Counter Signature of the Head of the Office of the	e concerned establishment:						
(मोहर सहित दिनांकित हस्ताक्षर)	(मोहर सहित दिनांकित हस्ताक्षर)						
(Dated Signature with seal)	(Dated Signature with seal)						
नाम/Name:	नाम/Name:						
कार्यालय प्रमुख/डीडीओ, गु.के.वि., गाँधीनगर	कार्यालय प्रमुख/डीडीओ						
Head of Office/DDO, CUG, Gandhinagar.	Head Office / DDO						



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

महत्वपूर्ण सूचना/IMPORTANT NOTES:

- परिवार घोषणा प्रपत्र के साथ पित/पत्नी के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त घोषणा की स्वीकृति प्रस्तुत की जानी चाहिए।
 - Acceptance of the above declaration by the Competent Authority of the Spouse's office should be submitted along with the family declaration form.
- 2. संयुक्त घोषणा पत्र की दो प्रतियाँ (मूल रूप में) दावेदार (पित/पत्नी) के कार्यालय में जमा की जानी आवश्यक हैं और उसी की एक प्रति पित/पत्नी के कार्यालय में रिकॉर्ड हेतु सुरक्षित रखी जानी आवश्यक है।
 - The Joint Declaration form in two copies (in original) is to be submitted separately in the office of the claimant (Husband/Wife) and a copy of the same is to be retained in the office of the spouse (Husband/Wife) or vice-versa for records.
- 3. भविष्य में घोषणा में किसी भी परिवर्तन की स्थित में, संयुक्त रूप से इसके बारे में सूचित किया जाना चाहिए। In case of any changes in declaration in future, the same should also be intimated jointly.
- 4. आश्रित माता-िपता की आय केंद्र सरकार के विनियमों में निर्धारित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन (अर्थात ₹9000/- प्रित माह) से अधिक नहीं होनी चाहिए और उस पर महंगाई राहत पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर मानी जाएगी।
 - The Income of the dependent parent should not exceed the amount of minimum family pension prescribed in Central Government regulations (i.e. Rs.9000/- p.m.) and dearness relief thereon is deemed to be wholly dependent on Government Servant.